

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

..RESPONDENTS

INDEX

<u>S. No.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>PAGE No.</u>
1.	Reply Affidavit of Senior Mines Officer on behalf of District Magistrate Jhansi (Respondent No.5) in compliance of order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	<u>Annexure No. R 1: -</u> A copy of the Government Order dated 29.11.2023	
3.	<u>Annexure No. R 2:-</u> A copy of the Government Order dated 11.01.2024	
4.	<u>Annexure No. R 3: -</u> A copy of list enumerating the details of the irregularities found during inspections, as well as the actions taken in relation to lease holders.	

DATED: - 13.08.2025

Ankit Verma

FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF U.P.

A-15, FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI – 110013

MOB: - 9990804440

Email: - ankit.scngtup@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENTS

**REPLY AFFIDAVIT OF SENIOR MINES OFFICER ON BEHALF
DISTRICT MAGISTRATE JHANSI (RESPONDENT NO.5) IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.05.2025 PASSED BY THIS
HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent herein states as under: -

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

I, Ram Padarath Singh aged about 46 years, S/o Shri Shiv Badan Singh , presently posted as Senior Mines Officer District Jhansi , the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned authorised officer on behalf of answering Respondent No. 5, who has duly authorised the deponent and is duly competent to file the present reply affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.
2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
4. That the Deponent is posted as Senior Mines Officer District- Jhansi, since..... and is swearing this reply affidavit in his official capacity.

Signature



5. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 27.05.2025 was pleased to issue the following directions: -


".....5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board(CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board(UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months....."


6. That the present reply is being filed in respectful compliance of the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

7. That in compliance of the order dated 27.05.2025, passed by this Hon'ble Tribunal it is submitted that an inspection was conducted on 01.07.2025 by the members of the Joint Committee. The complainant, Shri Ram Milan, son of Shri Virendra Kumar, resident of Muskara, District Hamirpur, Uttar Pradesh, was also present at the site wherein he submitted following declaration at the time of inspection: -

"I have no grievance against the Mining Departments of District Jalaun and District Jhansi. However, I have objections regarding the operation of poclain machines and the resulting pits in the mining areas of Village Beri, Block No. 10/6, Village Chandeeet, Block No. 21/1, and Village Ichhaura Jitkari, Block Nos. 25/17, 25/18, and 25/21, in District Hamirpur. Apart from the aforesaid, I have no other complaint."

8. That for the purpose of ensuring effective control over illegal mining and transportation within the State, an eight-member District Level Task Force, under the Chairmanship of the District Magistrate, has been constituted in accordance with the provisions contained in Government Order No. 12/2023/1/435766/2023/86-01099/136/2019 dated 29.11.2023, issued by the Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh. A copy of the Government Order dated 29.11.2023 is being annexed as **Annexure No. R 1** to this affidavit.
9. That in pursuance of the directions contained in the aforesaid Government Order, vide Office Letter No. 1912/30M.M.C./Mineral/2023-24 dated 11.01.2024, a District Level Task Force, under the Chairmanship of the District Magistrate, and a Tehsil Level Task Force, under the Chairmanship of the Sub-Divisional Magistrate, have been constituted in District Jhansi for the purpose of exercising strict vigilance and control over illegal mining and transportation. A copy of the Order dated 11.01.2024 is being annexed as **Annexure No. R 2** to this affidavit.
10. That the members of the said Task Forces have been directed to remain vigilant and conduct surprise inspections and regular intensive checking of the operational mining leases of minor minerals such as stone blocks, boulders, grit, stone dust, sand, M-sand, and red morrum (arising from hill erosion), as well as of sites against which specific complaints of illegal mining have been received. The proceedings and actions undertaken by the constituted Committee are reviewed by the District Magistrate on a monthly basis, and necessary directions are issued to the members of the Task Force accordingly.
11. That in addition to the above, it is further submitted that, pursuant to the constitution of the Task Force vide Office Letter dated 11.01.2024, surprise inspections were carried out by its members in respect of the approved mining leases of minor minerals, such as sand and morrum, operating within the District, both after the conclusion of the monsoon season in the financial year 2024-25 and prior to the commencement of the monsoon season in the financial year 2025-26. A copy of list enumerating the details of the irregularities found during such inspections, as well as the actions taken in relation to such lease holders is being annexed as **Annexure No. R 3** to this affidavit.



[Handwritten Signature]


12. That it is germane to mention at this juncture that in addition to the foregoing, it is further submitted that, in order to impose an effective check upon illegal mining and transportation, during the financial year 2024-25, 02 First Information Reports (FIRs) were registered under Sections 4 and 21 of MMDR Act 1957, and during the financial year 2025-26, 28 complaints have, till date, been filed before the Hon'ble Court of the Chief Judicial Magistrate, Jhansi, which are presently pending adjudication and are being pursued by the District Administration- Jhansi.
13. That it is also submitted that, by virtue of Notification No. 436/86-2020-132-2016 TC-I, Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, dated 18.03.2020, the U.P. District Mineral Foundation Trust (First Amendment) Rules, 2020 were promulgated, and in continuation thereof, Government Order No. 662/86-2020-132/2016 TC-II, Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, dated 26.03.2020, was issued. The said provisions empower the authorities to utilize funds from the District Mineral Foundation Trust Fund for the creation of technical infrastructure, acquisition of necessary equipment, and engagement of personnel, with a view to controlling illegal mining/transportation from the standpoint of environmental protection and pollution control.
14. That pursuant to the provisions of the U.P. District Mineral Foundation Trust Rules, 2017, in the meeting of the Governing Council constituted thereunder, and in compliance with the directions contained in Letter No. 982/M/17 DMF-VI/2016 dated 23.09.2020 issued by the Director, Directorate of Geology and Mining, U.P., Lucknow, four (04) IOT/AI-based check-gates (namely, Jhansi-Poonch, Jhansi-Gursarai, Semri Toll Plaza, and Babina Toll Plaza) have been installed within the District. Through these check-gates, vehicles engaged in the transportation of minor minerals are subjected to electronic surveillance, and upon detection of irregularities, e-notices are issued through the e-surveillance system.
15. That, furthermore, from the year 2021 till March 2025, a total of 1,749 vehicles were identified through the aforementioned IOT/AI-based check-gates. Upon issuance of e-notices to the said vehicles, a penalty amounting to ₹4,10,51,119/- was imposed, out of which ₹2,71,92,572/- has been



[Handwritten signature]

realized. Additionally, 481 vehicles were blacklisted under proceedings initiated by the Assistant Regional Transport Officer, Jhansi, and the list of such blacklisted vehicles was circulated to all toll plazas and police stations in the District, so that the said vehicles could be intercepted and detained, and appropriate penal action could be taken as per law.

16. That, it is further submitted that, through the Task Force constituted vide Office Letter dated 11.01.2024, surprise inspections of approved mining leases of minor minerals (sand/morrum) operating within the District Jhansi are being carried out to ensure that the leaseholders strictly comply with the terms and conditions stipulated in the lease deed (DEED), the conditions specified in the Environmental Clearance Certificate, as well as those contained in the Consent to Operate (CTO). Strict penal action is also undertaken to curb illegal mining/transportation in accordance with the applicable statutory provisions.
17. That the deponent most humbly submits before this Hon'ble Tribunal that the District Administration- Jhansi is very conscious and vigilant about illegal sand mining/transportation in the alleged areas. The State Government undertakes before this Hon'ble Tribunal that it will leave no stone unturned in ensuring that prompt and strict penal action in accordance with law is taken against the persons involved in illegal sand mining/transportation in District- Jhansi.
18. That further the deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that he is duty bound to ensure the compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal in letter and spirit.
19. That in light of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal, that the instant reply affidavit filed by the District Magistrate- Jhansi be taken on record, in the interest of justice.




DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Mansi on 12.8.25 That the contents of the Paras 1 to 1.2 of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
DEPONENT



Serial No. 1680 Date 12.8.25
Certified that the foregoing statement
sworn before me this day at Mansi
by shri. Ram Narayn Singh
whom the contents of this affidavit
have been read over and explained and
who is identified by shri. Sri.
Received the legal fee Rs. 35/- each
12.8.25
KESHAV SINGH NARVARI,
Advocate
Notary Distt Jhansi U.P.

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या-12/2023/1/435766/2023/86-01099/136/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार-III,
प्रमुख सचिव,
उपरो शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2023

विषय:- अवैध खनन एवं परिवहन रोकने हेतु कार्यबल का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-616/86-2018-371/2005, दिनांक 20.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रशादी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) का गठन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (DCP), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) तथा जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खनन निरीक्षक को भी सम्मिलित करते हुये प्रश्नगत कार्यबल की संरचना निम्नवत् निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित	सदस्य
पुलिस उपायुक्त (DCP)	
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन	सदस्य
प्रशासकीय वनाधिकारी	सदस्य
5. उपजिलाधिकारी	सदस्य
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)	सदस्य
7. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
8. जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक (खान अधिकारी नियुक्त न होने की दशा में)	सदस्य/ सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11/11/23

साथ ही यह भी मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अब उपरोक्तानुसार गठित 08 सदस्यीय कार्यबल द्वारा प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक माह 02 औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाय। कार्यबल द्वारा प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाय तथा उक्त सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, 30प्र0, लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से ई-मेल cmo.lko62@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए।

जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में आपके द्वारा स्वयं प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी समीक्षा तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों व कार्य से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अनिल कुमार-III

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदों से कार्यबल द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित कर उसके आधार पर एक समेकित रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. समस्त यरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश)

7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विजय कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी । (खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 1913 / 30एम0एम0सी0 / खनिज / 2023-24

दिनांक: 11 / 01 / 2024

आदेश

जनपद में अवैध परिवहन (बिना परिवहन प्रपत्र/बिना आई0एस0टी0पी0/बिना माईन टैक) तथा उपखनिजों के ओवरलोड पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से शासकीय पत्र संख्या-12/2023/1/435766/2023/86-01099/136/2019 दिनांक:29.11.2023 में दिये गये निर्देश के क्रम में झाँसी-कानपुर हाई-वे (थाना-पूछ) एवं गुरसराय-कोटरा मार्ग (थाना-एरच) से परिवहन करने वाले उपखनिजों के वाहनों की नियमित जाँच किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रवर्तन दल का गठन किया जाता है :-

प्रवर्तन दल-(A) झाँसी-कानपुर हाई-वे (थाना-पूछ)

1. उप जिलाधिकारी, मोठ अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी
2. ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान निरीक्षक/सर्वेक्षक/खनिज मुहरिर
3. क्षेत्राधिकारी पुलिस, मोठ अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी
4. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, मोठ
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी
6. थानाध्यक्ष-पूछ

प्रवर्तन दल-(B) गुरसराय-कोटरा मार्ग (थाना-एरच)

1. उप जिलाधिकारी, गरौठा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी
2. ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान निरीक्षक/सर्वेक्षक/खनिज मुहरिर
3. क्षेत्राधिकारी पुलिस, गरौठा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी
4. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, गरौठा
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी
6. थानाध्यक्ष-एरच

अतः उपरोक्त प्रवर्तन दल को निर्देशित किया जाता है कि अपने दल के सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए आवंटित निरीक्षण क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए उपखनिज यथा गिट्टी/बोल्डर/डस्ट/बालू/मौरम/एम सेन्ट/पहाड़ी क्षरण से उत्पन्न लाल मौरम आदि का परिवहन करने वाले वाहनों में परिवहन प्रपत्र ई-एम0एम0-11/ई-प्रपत्र-सी/सम्बन्धित राज्य से वैध अभिवहन प्रपत्र (ETP)/अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र (ISTP)/बिना माईन टैक तथा ओवरलोड वाहनों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे। जाँच के दौरान पायी गयी अनिमितताओं पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर उसकी निमित्त सूचना/रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), झाँसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3- मा0 आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
4- प्रवर्तन दल का गठित सभी सदस्यों को अनुपालनार्थ हेतु।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

12/01/24

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 774/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 25/10/2024

नोटिस

मेसर्स राशि इण्टरप्राइजेज
प्रो० हरी शंकर राजपूत
पुत्र श्री कल्याण सिंह राजपूत
निवासी-453ख, चिरगांव-देहात,
तहसील-मौठ, जनपद-झाँसी ।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के सम्बन्ध में सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स (x) पर दिनांक: 23.10.2024 ट्विटरकर्ता Pushpendra Yadav jhansi (@pushpendrayad13) द्वारा किये गये पोस्ट जिसमें उल्लेख किया गया है कि "एरच थाना क्षेत्र के डेरा बालू घाट पर घड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, प्रतिबन्धित मशीनों से खनन माफिया बेतवा नदी का सीना कर रहे छलनी, एन0जी0टी0 के नियमों को ठेंगा दिखा रहे अवैध खनन" एवं दिनांक: 24.10.2024 को ट्विटरकर्ता Hindi khabar (@hindikhabar) यूजर द्वारा किये गये पोस्ट जिसमें उल्लेख किया गया है कि "जनपद के डेरा बालू घाट पर अवैध खनन का खेल फिर से शुरू, प्रतिबन्धित दर्जनों मशीनों, पन्नडुबियां, लिफ्टर से अवैध खनन से जारी" का संज्ञान लेते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी-झाँसी एवं खान निरीक्षक, झाँसी के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-एरच के आराजी संख्या-420, 421, 422, 423 एवं 426 रकवा 2.386 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण आज दिनांक: 24.10.2024 को समय 03:14 PM बजे किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कोई भी सीमा स्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-E-F-G-H-A) पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर एक सक्शन मशीन लिफ्टर नदी में बीचो-बीच भागते हुए पाया गया तथा अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25°49'16"N 79°06'55" E पर सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।
3. बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (B) से लगभग 50 मीटर की दूरी पर (उत्तर दिशा की ओर) एवं बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अनुज्ञाधारक द्वारा नदी में रास्ता बनाकर अवैध खनन कर मण्डारित मात्रा की पैमाईश की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

अवैध खनन का स्थान जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	ऊचाई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में) (2x3x4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
25°49'16"N 79°06'55" E	15	22	0.6	198
25°49'22"N 79°06'37" E	70	6.8	1.5	714
कुल योग				912

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य यथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कोई भी सीमा स्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-E-F-G-H-A) पर लगा हुआ नहीं पाया गया, प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर एक सक्शन मशीन लिफ्टर नदी में बीचो-बीच भागते हुए पाया गया तथा अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25°49'16"N 79°06'55" E पर सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये, बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (B) से लगभग 50 मीटर की दूरी पर (उत्तर दिशा की ओर) एवं बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब

2

(2)

दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अनुज्ञाधारक द्वारा नदी में रास्ता बनाकर अवैध खनन कर भण्डारित मात्रा की पैमाईश की गयी। जिसमें स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 912.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें सीमा स्तम्भ न लगाये जाने के कारण उक्त नियमावली, 2021 के नियम-60(3) के अन्तर्गत 25,000.00 की शास्ति की धनराशि, सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत कुल ₹ 5,00,000.00 की धनराशि, पर्यावरण शर्तों के उल्लंघन के कारण नियम-60(2) के अन्तर्गत 50,000.00 की धनराशि एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 912.00 घनमीटर बालू/मौरम पर रॉयल्टी के रूप में ₹ 1,36,800.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में ₹ 1,36,800.00 X 5 = 6,84,000.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत ₹ 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क अधिरोपित कर कुल धनराशि ₹ 18,95,800.00 अधिरोपित की जाती है।

इसी प्रकार पूर्व में भी प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कार्यालय पत्र संख्या-2082/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 26.02.2024 के माध्यम से निरीक्षण आख्या दिनांक: 24.02.2024 में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में नोटिस निर्गत कर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-36 का उल्लंघन पाये जाने पर नियम-60(3) के अन्तर्गत ₹ 50,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की कार्यवाही की गयी, प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का दिनांक: 30.03.2024 को भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 36(1), 36(2) व 42(ज) का उल्लंघन आप द्वारा द्वितीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-12/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 03.04.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-58, 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत ₹ 10,50,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी एवं पुनः कतिपय प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का दिनांक: 01.05.2024 को उपजिलाधिकारी, गरीठ की अध्यक्षता में (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3 व 42(ज)(1) का उल्लंघन आप द्वारा तृतीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-102/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 04.05.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-58 व 60(4) के अन्तर्गत ₹ 25,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी।



उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं पर्यावरण शर्तों तथा स्वीकृत खनन अनुज्ञा में शर्तों का उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उ0प्र0 के अनुसार शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि ₹ 18,95,800.00 खनिज के निर्धारित दरानुसार "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की क्यों न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।

जिलाधिकारी,
डॉ०सी।

पत्रांक व तद दिनांक:
प्रतिलिपि:-

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
डॉ०सी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 978/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक: 17/12/2024

नोटिस

मेसर्स भरोसा सरकार कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स
प्रो० श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद
निवासी-ग्राम भरोसा, तहसील-मोंठ, जिला-झाँसी।

जनपद-झाँसी के तहसील-गरीठा स्थित ग्राम-खरवांच के आराजी संख्या-908न (खण्ड-2) रकवा-24.00 हे० क्षेत्र पर घसान नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 06.12.2021 से दिनांक: 05.12.2026 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में खान निरीक्षक, झाँसी द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांक: 11.12.2024 उल्लेख किया गया है कि "मा० हरित न्यायाय, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-1025/2024 "सुरेन्द्र सिंह परिहार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य" में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 05.11.2024 में गठित समिति एवं प्रमारी अधिकारी खनिज, ज्येष्ठ खान अधिकारी, झाँसी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक: 11.12.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय खनन कार्य बन्द होना पाया गया तथा सीमास्तम्भ अपने निर्धारित भू-निर्देशांक पर लगा होना पाया गया किन्तु पट्टा क्षेत्र के लगा हुआ कैमरा संचालित होना नहीं पाया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि आज दिनांक से पूर्व दिनांक: 16.11.2024 को प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था जिसमें पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जे०ड० कैमरा संचालित होना नहीं पाया गया था, जिसके उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र दिनांक: 19.11.2024 के माध्यम से पट्टाधारक को नोटिस प्रेषित किया गया।" उक्त नोटिस दिनांक: 19.11.2024 में उल्लिखित धनराशि का भुगतान आप द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार दिनांक: 16.11.2024 को Last date of inspection मानते हुए दिनांक: 16.11.2024 से दिनांक: 11.12.2024 की अवधि में पी०जी०जे०ड० कैमरा संचालित न होने की दशा में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(3) के अन्तर्गत प्रति चूक के लिए प्रतिदिन रू० 25,000.00 की दर से शास्ति शुल्क (यानि की रू० 25,000.00 X 25 = 6,25,000.00) अधिरोपित की जाती है। इस प्रकार नोटिस दिनांक: 19.11.2024 के माध्यम से रू० 25,000.00 की धनराशि तथा वर्तमान में अधिरोपित रू० 6,25,000.00 की धनराशि का कुल योग करते हुए रू० 6,50,000.00 की अधिरोपित की जाती है।

अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियम-60(3) के अन्तर्गत रू० 6,50,000.00 की अधिरोपित धनराशि को यथा शीघ्र खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को आप द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि में से कटौती करने सम्बन्धित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

17/12/2024
ज्येष्ठ खान अधिकारी
% झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
2. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झाँसी।

[Handwritten Signature]

17/12/2024
ज्येष्ठ खान अधिकारी
% झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 959 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक 12/12/2024

नोटिस

श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-91-बी0 ककराही-1 बाजार-1,
दिवियापुर, जनपद-औरैया।

जनपद-झॉंसी के तहसील-गरीठा स्थित ग्राम-मोतीकटरा के आराजी संख्या-1419 (खण्ड-01) रकबा 24.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 08.10.2024 से दिनांक: 07.10.2024 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक: 04.12.2024 को समय 05:54 PM बजे ज्येष्ठ खान अधिकारी, झॉंसी एवं खान निरीक्षक, झॉंसी द्वारा किया गया जिसका निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर न लग कर किसी और जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आने के बाद भी खनन के चिन्ह पाये गये।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर नदी की जलधारा पथरो के माध्यम से बाधित किया जाना पाया गया, जिसे मौके पर हटाकर जल का बहाव पुनः चालू कर दिया गया।
4. खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन किया जाना पाया गया, जिसका पैमाईस निम्नवत् है:-

लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	कुल मात्रा
29	20	1	580

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर न लग कर किसी और जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर लगा होना पाया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 का उल्लंघन है जिसमें नियम-60(3) के अन्तर्गत रू 25,000.00 की शास्ति तथा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आने के बाद भी खनन के चिन्ह पाया जाना नियम-42(ज) का उल्लंघन है जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत रू 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क एवं प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर नदी की जलधारा पथरो के माध्यम से बाधित किया जाना नियम-42(ज) एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र का उल्लंघन है जिसमें नियम-60(4) एवं 60(2) के अनुसार रू 5,50,000.00 तथा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 580 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन किया जाना उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण नियम-58 के अन्तर्गत रू 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क एवं 580.00 घनमीटर बालू/मोरम का रॉयल्टी के रूप में रू 87,000.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू 87,000.00 X 5 = 4,35,000.00 की धनराशि अधिरोपित किया जाता है। इस प्रकार कुल रू 20,97,000.00 को अधिरोपित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक: 12/12/2024 आदेश पारित किया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 04.12.2024 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू 20,97,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

INDIAPOST
IN
101937811681M IVR:82851937811681
PL JMWSI KUTCHERY 90 (284001)
Counter No:5,18/12/2024,15:07
To:SANJEEV KUMAR JHA, DIVIYA PUR
PIN:206122, Auraiya HD
From:JYESTHA KHAN ADIKARI, JMWSI
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
कर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

जिलाधिकारी,
झॉंसी।

जिलाधिकारी,
झॉंसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:-2036/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक: 01/03/2025

नोटिस

मेसर्स भरोसा सरकार कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स
प्रो० श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद
निवासी-ग्राम भरोसा, तहसील-मोंठ, जिला-झाँसी।

जनपद-झाँसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-खरवांच के आराजी संख्या-908न (खण्ड-02) में 20.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर घसान नदी तल स्थित बालू/मोरम के क्षेत्र को 05 वर्ष (दिनांक: 06.12.2021 से दिनांक: 05.12.2026 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त पट्टा के अन्वय में मा० हरित न्यायालय, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-1025/2024 सुरेन्द्र सिंह परिहार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा आपने आदेश दिनांक: 05.11.2024 में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

"4. We accordingly constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Jhansi; Uttar Pradesh State Pollution Control Board; and Central Pollution Control Board

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक: 11.12.2024 को कर आख्या मा० हरित अधिकरण न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है, जो मा० हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली की अधिकारिक वेबसाईट (www.greentribunal.gov.in) पर प्रदर्शित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक: 26.11.2021 एवं Consent To Operate (CTO) दिनांक: 19.04.2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों का शतप्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निम्न प्राविधान हैं:-

"नियम-35 के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जारी अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित निबन्धन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए जो पट्टेदार खनन कार्य करता है वह चूक के प्रति अवसर के अनुसार पचास हजार रुपये की दर से ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जिसकी वसूली जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।"

अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 01.03.2025 में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रु० 50,000.00 के शास्ति की धनराशि अधिरोपित की जाती है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर शास्ति की खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित बकाया धनराशि जमा प्रतिभूति के मद से वसूल की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

पत्रांक व तददिनांक

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनाार्थ।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 1060/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 17/01/2024

नोटिस

शिवा कॉर्पोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा
निदेशक श्री आशू सिंह भाटी
पुत्र श्री मगन सिंह भाटी
निवासी-बारू भाटियों का मोहल्ला,
बारू जोधपुर (जोधपुर)।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के सम्बन्ध में सोशल मिडिया पर प्रकाशित हिन्दी खबर के क्रम में दिनांक: 09.01.2025 को राजस्व विभाग टहरौली, पुलिस विभाग, टहरौली एवं खनिज विभाग, झाँसी के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-टेहरका के आराजी संख्या-278, 293 में रकवा-20.234 हे० में स्वीकृत उपखनिज बालू/मोरम के खनन अनुज्ञा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की आख्या निम्नवत् है:-

"सोशल मिडिया पर प्रकाशित हिन्दी खबर के क्रम में आज दिनांक: 09.01.2025 को ग्राम-शमशेरपुरा में बालू/मोरम के अवैध खनन की जाँच उपजिलाधिकारी-टहरौली, पुलिस क्षेत्राधिकारी-गरौठा, ज्येष्ठ खान अधिकारी, झाँसी एवं सर्वेक्षक, झाँसी द्वारा किया गया। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार मैसर्स शिवा कॉर्पोरेशन (इण्डिया) लि० निदेशक श्री आशू सिंह भाटी पुत्र श्री मगन सिंह भाटी निवासी-45, पश्चिम बिहार, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान के पक्ष में जनपद-झाँसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-टेहरका के आराजी संख्या-278, 293 में रकवा-20.234 हे० क्षेत्र पर दिनांक: 07.12.2024 से दिनांक: 06.06.2025 तक की अवधि हेतु बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र 06 माह की अवधि के लिए स्वीकृत/संचालित है।

निरीक्षण के समय ग्राम-शमशेरपुरा में बालू/मोरम का अवैध खनन होते हुए नहीं पाया गया। ग्राम-टेहरका में स्वीकृत/संचालित खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके निर्देशांक निम्नवत् हैं:-

क्र०स०	GPS निर्देशांक	
	Latitude (N)	Longitude (E)
1	25°42'24.20"	79°01'39.40"
2	25°42'24.40"	79°01'40.87"
3	25°42'23.45"	79°01'40.73"
4	25°42'23.36"	79°01'38.79"

स्वीकृत क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम के खनन क्षेत्र की पैमाईस किया गया।

$$800 \text{ मी०} \times 100 \text{ मी०} = \text{कुल मात्रा घनमीटर}$$

$$1284 \times 1.2 = 1540.80 \text{ घनमीटर}$$

इस प्रकार खनन अनुज्ञा मैसर्स शिवा कॉर्पोरेशन (इण्डिया) लि० निदेशक श्री आशू सिंह भाटी पुत्र श्री मगन सिंह भाटी निवासी-45, पश्चिम बिहार, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1541.00 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया। जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का स्पष्ट उल्लंघन है।"

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1,541.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किये

(2)

जाने का कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 व 72 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें 1541.00 घनमीटर बालू/मोरम के अवैध खनन पर रॉयल्टी के रूप में रू० 2,31,150.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू० 2,31,150.00 X 5 = 11,55,750.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत रू० 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप में अधिरोपित कर कुल धनराशि रू० 18,86,900.00 को अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रू० 18,86,900.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते। इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की क्यों न उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।

जिलाधिकारी,
झाँसी।
o/c

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ०प्र० लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
झाँसी।
o/c



कार्यालय जिलाधिकारी, झॉसी।

(खनिज अनुमाग)

पत्रांक:-257/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 06/03/2025

नोटिस

मेसर्स आर0एस0 माईन एण्ड मिनरल्स,
प्रो0 श्री सुमित सिंह पुत्र श्री ब्रजमोहन सिंह,
निवासी-1184, शिवाजी नगर,
तहसील व जनपद-झॉसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक: 04.03.2025 को राजस्व विभाग टहरीली, पुलिस विभाग, टहरीली एवं खनिज विभाग, झॉसी के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झॉसी के तहसील-टहरीली स्थित ग्राम-कलोथरा के आराजी संख्या-02 (खण्ड-1) में रकवा-3.500 हे0 में स्वीकृत उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण की आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
 2. प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
 3. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25.60748, 78.929164 पर 360.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया एवं जी0पी0एस0 बिन्दु 25.606821, 78.927018 पर 380.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया।
- उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगाये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25.60748, 78.929164 पर 360.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया एवं जी0पी0एस0 बिन्दु 25.606821, 78.927018 पर 380.00 घनमीटर कुल-740 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया। जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 360.00 घनमीटर एवं 380.00 घनमीटर कुल 740.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का अवैध खनन किये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 व 72 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें कुल 740.00 घनमीटर बालू/मोरम के अवैध खनन पर रॉयल्टी के रूप में ₹0 1,11,000.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में ₹0 1,11,000.00 X 5=5,55,000.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत ₹0 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क की धनराशि एवं खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना उक्त नियमावली-2021 के नियम-36(1) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया जाना उक्त नियमावली, 2021 के नियम-36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार ₹0 25,000.00 की शास्ति के रूप में अधिरोपित कर कुल धनराशि ₹0 12,16,000.00 को अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि ₹0 12,16,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,

झॉसी।

06/03/2025

जिलाधिकारी,

झॉसी।

06/03/2025

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:-2072/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 11/03/2025

नोटिस

मैसर्स आर0जी0एस0 कन्स्ट्रक्शन
प्रो श्री धूमन सिंह पुत्र श्री भागीरथ
निवासी-ग्राम वसोवई, तहसील-मोंठ, जनपद-झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-परैछा के आराजी संख्या-184/1 रकवा-8.903 हे0 पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 03/03/2025 को किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच जी0पी0एस0 युक्त के0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने क्षेत्र में मात्र 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 50,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 03.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू0 50,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पत्रांक व तद दिनांक:
प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक).

झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक).

झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 11/03/2025

पत्रांक:- 2070/30एम0एम0सी0/2024 25

नोटिस

मैसर्स स्काईब्रिज इंडिया डेवलेपर्स प्रा० लि०
पो० भी एम्मात जैन पूर भी सुरेश जैन
निवासी-पुराना हाई कोर्ट, लखनऊ, ग्वालियर (ग०प्र०)।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद झॉंसी के तहसील मीरवा स्थित ग्राम-चट्टगरी के खनन पट्टा 1/3 (खण्ड 1) रकबा 40,000 हे० पर संवर्धित उपखनिज बालू/मायम के खनन पट्टे का संवर्धित निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 05/03/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में 04 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा एवं साईन बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच जी०पी०एस० युक्त के०एम०एल० कार्डिन से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मायम का खनन किया जाना पाया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव किया जाना नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र में 04 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू० 25,000.00 की शास्ति एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नहीं जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू० 50,000.00 के शास्ति की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रू० 1,00,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू० 1,00,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी



अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झॉंसी।

दिनांक: 11/03/2025

प्रतिष्ठित:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ०प्र० लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झॉंसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(स्व-निज अनुगाग)

पत्रांक: 2074/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 11/03/2025

नोटिस

मैसर्स एम0पी0एल इन्फा

पोत मोहम्मद जावेद पुत्र श्री मोहम्मद अजीज

नेवासी-41 ग्राम-रायपुर, आई0आई0एम0 रोड,

तहसील-सादर जनपद-लखनऊ।

उपरोक्त पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के रागबन्ध जनपद-झॉंसी के तहसील-गरौटा स्थित ग्राम-खरवांच के पट्टा संख्या-908न (खण्ड-3) रकवा-12.146 हे0 पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 05/03/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच जी0पी0एस0 युक्त के0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया, परन्तु स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी पट्टेधारक द्वारा खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव किया जाना नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नहीं जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि तथा स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी पट्टेधारक द्वारा खनन किये जाने के चिन्ह पाये जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में रू0 5,00,000.00 की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रू0 6,00,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशिरू0 6,00,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉंसी।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉंसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक-2073/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 11/03/2025

नोटिस

मेसर्स भरोसा सरकार कोंन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स
प्रो० श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद
निवासी-ग्राम भरोसा, तहसील-मोठ, जिला-झॉंसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झॉंसी के तहसील-गरीठा स्थित ग्राम-खरवांच के आराजी संख्या-908न (खण्ड-2) रकवा-20.000 हे० पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 05/03/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में मात्र 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा एवं साईन बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच जी०पी०एस० युक्त के०एम०एल० फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी०पी०एस० बिन्दु 25°43'35.54", 79°23'01.84" पर लगभग 350.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है तथा स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी पट्टेधारक द्वारा खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव किया जाना नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र में मात्र 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू० 25,000.00 की शास्ति एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नहीं किया जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू० 50,000.00 के शास्ति की धनराशि तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल मात्रा 350.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में रू० 5,00,000.00 एवं नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रू० 52,500.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू० 52,500.00 x 5 = 2,62,500.00 एवं शास्ति शुल्क रू० 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) कुल धनराशि रू० 14,15,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशिरू० 14,15,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पत्रांक ब तद दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ०प्र० लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉंसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 65 / 30एम0एम0सी0 / 2025-28

दिनांक 01 / 05 / 2025

नोटिस

श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता
निवासी-91बी0, ककराही-1, बाजार-1,
दिबियापुर, जनपद-औरैया।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झॉंसी के तहसील-गरीठा स्थित ग्राम-मोतीकटरा के आराजी संख्या-1419 खण्ड-01 रकवा-24.000 हेक्टेयर पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 28/04/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक से भिन्न किसी अन्य भू-निर्देशांक पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाना पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम के खनन एवं लोडिंग हेतु कुल 04 मशीन पाये गये, जिसकी Boom Length की पैमाईश की गयी। पैमाईश के उपरान्त कुल 02 मशीनों का Boom Length 03 मीटर से कम होना पाया गया किन्तु 02 मशीन की Boom Length 03 से अधिक होना पाया जो पर्यावरण शर्तों एवं शासनादेश दिनांक: 21.06.2019 में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है, जिस कारण उक्त मशीन को तत्काल पट्टा क्षेत्र से बाहर कर खनन सक्रियताओं को उक्त मशीनरी का प्रयोग करने से वर्जित कराया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना पाया गया किन्तु पट्टाधारक के प्रतिनिधि कैमरा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में विफल रहे।
5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में रात्रि के समय खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसे मौके पर बन्द कराया गया।
6. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय पट्टा क्षेत्र के बाहर 02 स्थानों पर खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

अवैध खनन पिट 01 (जीपीएस बिन्दु 25°32'43.93", 79°24'31.82" के पास)

लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	उगई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
200	20	0.5	2000

अवैध खनन पिट 02 (जीपीएस बिन्दु 25°32'45.81", 79°24'24.95" के पास)

लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	उगई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
100	8	2.4	1920

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना पाया गया किन्तु पट्टाधारक के प्रतिनिधि कैमरा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में विफल पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) य 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू 25,000.00 की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू 50,000.00 के शर्तों की धनराशि एवं खनन पट्टा क्षेत्र में रात्रि के समय खनन कार्य किया जाना पाया गया, जो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू 50,000.00 के शर्तों की धनराशि तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 स्थानों पर कुल मात्रा 3920.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रू 5,88,000.00 तथा खनिज मुख, मूल्य के रूप में रू 5,88,000.00 x 5 = 29,40,000.00 एवं शारित शुल्क रू 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) कुल धनराशि रू 41,78,000.00 की शारित शुल्क की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 28.04.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शर्तों की कुल धनराशि रू 41,78,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में दर्ज कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर अन्यथा की स्थिति में शारित की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉंसी।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉंसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 66 / 30एम0एम0सी0 / 2025-28

दिनांक 01/05/2025

नोटिस

मैसर्स स्काईब्रिज इंडिया डेवलेपर्स प्रा0लि0
प्र0 श्री प्रभात जैन पुत्र श्री सुरेश जैन
निवासी-पुराना हाई कोर्ट, लस्कर, ग्वालियर (म0प्र0)।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद झॉंसी के तहसील गणैना स्थित ग्राम-घटगारी के आराजी संख्या-1 3 (खण्ड-1) रकवा-40.000 हेक्टेयर पर संचालित उपखनिज ताम्बू/मोगम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 27.04.2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक से भिन्न किसी अन्य मू-निर्देशांक पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाना नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन एवं लोडिंग हेतु कुल 04 मशीन पाये गये, जिसकी Boom Length की पैमाईश की गयी। पैमाईश के उपरान्त कुल उक्त मशीनों का Boom Length 03 मीटर से कम होना पाया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ पाया।
5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य सूर्यास्त के बाद बन्द होना पाया गया।

उपरोक्त अनुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति इस प्रकार कुल रू0 50,000.00 एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिड़काव नहीं किया जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रू0 75,000.00 की शास्ति शुल्क की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 27.04.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू0 75,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली मू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सावर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झॉंसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झोंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक- 122 / 30एम0एम0सी0 / 2025-28

दिनांक 17 / 05 / 2025

कारण बताओ नोटिस

मेसर्स पी0एस0ए0 ऑन्यूटेकर एल0एल0पी0
प्र0 भरत पाहवा पुत्र: श्री विनोद कुमार
निवासी-310, वर्षमाग तारु प्लाजा,
सी0यू0 ब्लॉक, प्रीतमा, दिल्ली।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में जनपद- झोंसी के तहसील-टहरीली स्थित ग्राम-कुकरगांव के आराजी संख्या-01क खा-3-02 रकबा-9.712 हेक्टेयर पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 08/05/2025 को किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा होना नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाना नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना नहीं पाया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय खनन कार्य बन्द पाया गया।
5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय पट्टा क्षेत्र के बाहर भू-निर्देशांक 25°38'29.54", 78°57'34.22" से भू-निर्देशांक 25°38'25.58", 78°57'29.59" तक रास्ता बना होना पाया गया, जिससे नदी की जलधारा बाधित होना गया गया।
6. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर आख्याई रास्ते का निर्माण किया जाना पाया गया। उक्त बने रास्ते की पैमाईश की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	उचाई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
230	5.00	1.5	1725
अवैध खनन पिट 02 (जं.पी.एस. बिन्दु 25°38'26.93", 78°57'29.19" के पास)			
लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	उचाई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
15	12	1.5	270

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना पाया गया किन्तु पट्टाधारक के प्रतिनिधि कैमरा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में विफल पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति इस प्रकार कुल रू0 50,000.00 एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिड़काव नहीं किया जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 स्थानों पर कुल मात्रा 1995.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रू0 2,99,250.00 तथा खनिज मूल्य के रूप में रू0 1995 X 150 X 5 = 14,96,250.00 एवं शास्ति शुल्क रू0 5,00,000.00 को धनराशि सम्मिलित है) तथा जलधारा को बाधित किया जाना नियम-42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 के शास्ति की धनराशि का अधिरोपित किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त जॉच आख्या दिनांक: 07.05.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष नोटिस प्राप्ति 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें की क्यों न आपके विरुद्ध उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 35, 36(1) 36(2) एवं 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण नियम-58, 60(2) 60(3) व 60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में कुल धनराशि रू0 28,95,500.00 अधिरोपित करते हुए वसूल किया जाय तथा आपके विरुद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही की जाय। यदि आप द्वारा निर्देशित अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

संलग्नक- जांच आख्या।

जिलाधिकारी,
झोंसी।

पत्रांक व तद दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनाई प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
झोंसी।

बयान

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के क्रम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के सम्मेलन दिनांक-01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ में मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।

- 1- जनपद जालौन तथा जनपद झांसी के खनन पट्टों तथा जनपद जालौन व झांसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
- 2- जनपद हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या-10/6, ग्राम घण्डौत खण्ड संख्या-21/1 एवं ग्राम इछौरा जिटकरो के खण्ड संख्या-25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलाने तथा उत्पन्न गड़दों की शिकायत है।
- 3- उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य शिकायत नहीं है।



Handwritten signature

श्रीमती ली
 लुसबरा वि. नगीरुद

7338605530

ता. 1-7-2025

Annexures-III


भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र०
 DIRECTORATE OF GEOLOGY & MINING U.P.
 KHANLI BHAWAN, 27/8, RAJA RAM MOHAN RAI MARG,
 LUCKNOW-226001
IDENTITY CARD


 Name : **RAM PADARATH SINGH**
 Designation: **SR. MINES OFFICER**
 Emp. No. : **1198**
 IC No. : **0532**


 (Employee Signature)

(राम पदारथ सिंह)
 ज्येष्ठ खनिकर्म
 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ



Local Address : 27/8, Raja Ram Mohan Rai Marg,
 Khanij Bhawan, Lucknow

Phone No. (O) : 8004117101
 (R)
 (M)

Email : rampadarthsingh198@gmail.com

Date of Birth : 05.01.1979

Date of Appointment : 25.12.2016

Blood Group : B+